Office of The Sadr Majlis Ansarullah Bharat

دفتر صدر مجلس انصار اللہ بھارت

Ph. +91-01872-220186, Fax, +91-01872-224186, Mob, +91-9815494687, E-Mail: ansarullahbharat@gmail.com

सारांश ख़ुत्बः जुम्अः सैय्यदना हज़रत अमीरुल मोमिनीन ख़लीफ़तुल मसीह अलख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ दिनांक **03.11.2017** मस्जिद बैतुल फ़तूह, मॉर्डन लंदन

कुर्आन-ए-करीम का कितना सुन्दर आदेश है कि किसी समुदाय से शत्रुता तुम्हें इस बात के लिए तय्यार न करे कि तुम न्याय न करो। यह आदेश किसी अन्य धार्मिक पुस्तक में नहीं दिया गया

यह एक मोमिन का काम नहीं कि क़ौमों तथा अन्य धर्म के लोगों के दुर्वव्यवहार का बदला उसी प्रकार लें तथा न्याय की प्रक्रिया पूरी न करें।

ऐ लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह के लिए गवाह बनते हुए न्याय को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करने वाले बन जाओ, चाहे स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देनी पड़े अथवा वालदैन और निकट सम्बंधियों के विरुद्ध गवाही देनी पड़े।

तशह्हुद तअव्वुज़ तथा सूरः फ़ातिहः की तिलावत के पश्चात् हुज़ूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने निम्नलिखित आयत तिलावत की तथा उसका अनुवाद पेश फ़रमाया-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُوۡنُوۡا قَوّٰمِيۡنَ بِالۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوۡ عَلٰۤى اَنۡفُسِكُمۡ اَوِ الۡوَالِدَيۡنِ وَالۡاَقۡرَبِيۡنَ ۚ اِنۡ يَّكُنۡ غَنِيًّا اَوۡ فَقِيۡرًا فَاللّٰهُ اَوۡلٰى بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الۡهَوٰٓى اَنۡ تَعۡدِلُوۡا ۚ وَاِنۡ تَلۡوٗۤا اَوۡ تُعۡرِضُوۡا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِيۡرًا ١٣٥ ﴿النساء: ١٣٦﴾

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُوۡنُوۡا قَوّٰمِيۡنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالۡقِسۡطِ ۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَاٰنُ قَوۡمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعۡدِلُوۡا ؕ اِعۡدِلُوۡا ۚ هُوَ اَقۡرَبُ لِلتَّقۡوٰى ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيۡرٌۢ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ ٨ ﴿المائدة: ٩﴾

وَمِمَّنۡ خَلَقۡنَاۤ اُمَّةٌ يَّهۡدُوۡنَ بِالۡحَـقِّ وَبِهٖ يَعۡدِلُوۡنَ ١٨١ ﴿الأعراف: ١٨٢﴾

फ़रमाया- अल्लाह तआला ने जिस प्रकार तथा जिस स्तर के न्याय स्थापित करने की मुसलमानों को हिदायत फ़रमाई है किसी और धार्मिक पुस्तक में यह स्तर मौजूद नहीं है परन्तु दुर्भाग्यवश इस समय प्रत्येक स्थान पर मुसलमानों में एक ऐसा बड़ा समुदाय है, लीडरों में भी तथा आलिमों में भी जो इंसाफ़ और न्याय के तक़ाज़े पूरे नहीं करता। इसी प्रकार घरों में, सामान्य लोगों में, साधारण मामलों में इंसाफ़ और न्याय के वे स्तर सामान्यतः देखने में नहीं आते जो अल्लाह तआला ने क़ायम फ़रमाए हैं, जिसकी एक मोमिन से आशा भी नहीं की जाती है। घरेलू मतभेद के मामलों में पुरुषों की ओर से तथा महिलाओं की ओर से भी कई बार अनुचित बातों के साथ मामले अदालतों में पेश किए जाते हैं, झूठी गवाहियाँ पेश की जाती हैं। नाजायज़ हक़ लेने के लिए या किसी के अधिकार का हनन करने हेतु झूठ और अनुचित बयानों से काम लिया जाता है। अभिप्रायः यह है कि बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो सच्चाई से काम नहीं लेती, झूठ बोलते हैं तथा अदालतों को भी धोखे में रखते हैं। कई स्थानों पर न्याय करने वाले अनुचित निर्णय अपने निजि स्वार्थ के लिए कर लेते हैं, मानो कि व्यवस्था ही बिगड़ गई है। तो इस अन्याय के कारण समाज में बुराईयाँ फैलती चली जाती हैं। फिर राष्ट्रीय स्तर पर शासक न्याय की मांग को पूरी नहीं करते, न अपनी जनता के लिए ही न्याय की प्रक्रिया पूरी की जा रही होती है, न ही देशों के परस्पर सम्बंधों में न्याय की प्रक्रिया पूरी की जाती है। आलिम हैं तो उन्होंने धर्म को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ प्राप्त करने का साधन बना लिया है और दावा मुसलमानों का यह है कि हम ख़ैर-ए-उम्मत हैं तथा इस्लाम ही दुनिया की समस्याओं का सर्वश्रेष्ट निवारण पेश करता है। निःसन्देह

मुसलमान ख़ैर-ए-उम्मत हैं यदि वे अल्लाह तआला के आदेशों पर चलें और क़ुर्आन-ए-करीम की शिक्षाओं के अनुसार काम करें तो निःसन्देह इस्लाम ही दुनिया की समस्त समस्याओं का निवारण पेश करता है परन्तु यह शर्त कि इसकी शिक्षानुसार हक़ और इंसाफ़ क़ायम किया जाए।

हुज़ूर-ए-अनवर ने फ़रमाया- ये आयतें जो मैंने तिलावत की हैं, ये तीन भिन्न भिन्न सूरतों की हैं। सूरः अन्निसा की, अल-मायदा की और अल-आराफ़ की। पहली आयत जो सूरः अलनिसा की है उसका अनुवाद यह है कि ऐ लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह के लिए गवाह बनते हुए इंसाफ़ को मज़बूती से क़ायम करने वाले बन जाओ, चाहे स्वयं अपने विरूद्ध गवाही देनी पड़े या वालदैन और निकट के सम्बंधियों के विरुद्ध, चाहे कोई अमीर हो या निर्धन दोनों का अल्लाह ही संरक्षक है। अतः अपनी इच्छाओं का अनुसरण न करो कि न्याय से फिर जाओ। यदि तुमने गोल मोल बात की अथवा आँख बचा गए तो निःसन्देह अल्लाह जो तुम करते हो इससे अवगत है।

अतः यह वह आदेश है न्याय के स्तर स्थापित करने का। निजि तथा घरेलू मामलों में भी तथा सामाजिक मामलों में भी कि जैसे भी हालात हो जाएँ इंसाफ़ और न्याय पर सदैव स्थापित रहना है। मोमिनों को यह आदेश है कि अल्लाह के लिए तथा अल्लाह तआला के आदेशानुसार मोमिन की गवाही होनी चाहिए और यह उसी समय हो सकता है जब अल्लाह तआला पर सम्पूर्ण ईमान हो। ईमान का स्तर अत्यंत उच्च श्रेणी का हो तथा सुदृढ़ हो। मज़बूती का तभी पता लगेगा जब इंसान अपने विरुद्ध भी गवाही देने के लिए तय्यार हो, अपने बीवी बच्चों के विरुद्ध भी गवाही देने के लिए तय्यार हो, अपने माता पिता के विरुद्ध भी यदि आवश्यकता हो तो गवाही देने के लिए तय्यार हो, निकट सम्बंधियों के विरुद्ध भी गवाही देनी पड़े तो तय्यार हो। फ़रमाया कि इच्छाओं का अनुसरण न्याय से दूर करता है यदि अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लग गए तो इंसाफ़ और न्याय से दूर हो जाओगे। आजकल समाज की अनेक समस्याएँ इस कारण से हैं कि इंसाफ़ और न्याय के स्तर इतने विशुद्ध नहीं हैं जो अल्लाह तआला चाहता है। अपनी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना सामान्य बात है।

इस बात पर खेद होता है कि कई बार हममें से भी कुछ लोग दुनियादारी तथा वातावरण के प्रभाव के कारण हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बैअत में आने के बावजूद इस प्रकार की बातें कर जाते हैं तथा ऐसी गवाही दे देते हैं जो सत्य से दूर होती है। अल्लाह तआला तो फ़रमाता है कि चाहे निजि अथवा अपने माता पिता की हानि क्यूँ न हो जाए तो फिर भी कभी ऐसी बात न करो जो गोल मोल हो अथवा किसी प्रकार भी यह आभास हो कि सत्य को छिपाने के लिए जान बूझकर अनदेखा किया गया है, सच्ची गवाही देने से बचने का प्रयास किया गया है। ये बातें हम रोज़ाना के मामलों में देखते हैं उदाहरणतः पति पत्नि के मामले हैं, कज़ा में अनेक ऐसे मामले आते हैं जहाँ पूर्ण सत्य से काम नहीं लिया जाता। लेन देन के मामले हैं, उनमें भी हम देखते हैं वहाँ सत्य को छिपाया जाता है। कुछ दीन का ज्ञान रखने वाले तथा प्रत्यक्षतः सेवा में भी अग्रसर इस प्रकार की काम कर जाते हैं कि इंसान परेशान हो जाता है कि ऐसे लोग भी इस प्रकार की बातें कर सकते हैं जो प्रत्यक्ष में बड़े आलिम हैं।

जिस इमाम को हमने माना है उसने तो क़ुर्आन-ए-हकीम पर चलते हुए ऐसे उदाहरण क़ायम किए हैं जो ग़ैरों को भी आश्चर्य चकित कर देते हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अपने वालिद के खेतीहरों के विरुद्ध एक मुक़दमे में पेश हुए तथा न्याय व इंसाफ़ की प्रक्रिया पूरी करते हुए सत्य बात कही, जिसका लाभ खेतीहरों को हुआ और आप अलै. के वालिद को हानि हुई। अतः आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस सच्चे ग़ुलाम को हमने माना है, उसका नमूना तो यह है और इस नमूने को सामने रखते हुए हमें अपनी गवाहियाँ के हर मामले में निरीक्षण करना चाहिए।

हुज़ूर-ए-अनवर ने फ़रमाया- यदि नीयत नेक होगी, अल्लाह तआला के लिए गवाह बनते हुए इंसाफ़ को दृढ़ता पूर्वक पकड़ेंगे, अपनी गवाहियों के स्तर को शुद्ध बात पर क़ायम करेंगे तो अल्लाह तआला जो रब्ब है, जो राज़िक़ है वह स्वयं ही सामान भी उपलब्ध फ़रमाएगा तथा स्वयं ही रिज़्क़ में बरकत डाल देगा। अतः हमें हर समय

आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। यदि हम न्याय के ऐसे स्तर स्थापित करने के प्रयास नहीं करेंगे तो न घरों में अमन व शांति स्थापित रह सकती है, न समाज में शांति और अमन क़ायम रह सकता है। सूरः मायदा की आयत 9 जो मैंने तिलावत की है, उसका अनुवाद इस प्रकार है-

अल्लाह तआला फ़रमाता है कि ऐ लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह के लिए दृढ़ता पूर्वक संरक्षण करते हुए न्याय के समर्थन में गवाह बन जाओ और किसी क़ौम की दुश्मनी तुम्हें कदाचित इस बात पर तय्यार न करे कि तुम न्याय न करो। न्याय करो यह तक़्वा के अधिक निकट है और अल्लाह तआला से डरो निःसन्देह अल्लाह उससे अवगत रहता है जो तुम करते हो।

हुज़ूर-ए-अनवर ने फ़रमाया- कई स्थानों पर धार्मिक मतभेद होते हैं तथा इसके कारण दूसरे धर्मों वाले दुर्व्यवहार भी कर जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में एक मोमिन का यह काम नहीं है कि क़ौमों तथा दूसरे धर्म के लोगों के दुर्व्यवहार का बदला उसी प्रकार लें तथा न्याय प्रक्रिया पूरी न करें। एक वास्तविक मोमिन का काम है कि अल्लाह तआला के आदेशों को मज़बूती से पकड़े तथा इस पर क़ायम हो तथा इसमें तनिक सी भी लापरवाही न हो। इंसाफ़ के समर्थन में गवाह बनने का अर्थ ही यह है कि इस्लाम की शिक्षा पर ऐसे चलें, इस प्रकार कर्म करें कि तुम्हारा कर्म लोगों के लिए, दूसरे धर्म के लिए, समाज के लिए एक उदाहरण बन जाए, दूसरी क़ौमों के लिए उदाहरण बन जाए।

आजकल मुसलमानों के अन्याय के विषय में पश्चिम में बहुत कुछ कहा जाता है कि जो लोग अपने धर्म वालों के साथ न्याय नहीं करते वे अन्य लोगों के साथ क्या इंसाफ़ करेंगे। यह बड़ा दुःखद है और मुसमलान ही इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं अपनी हरकतों के कारण। शासक जनता के हक़ मार रहे हैं, जनता शासकों से लड़ रही है, आबादियों की आबादियाँ अत्याचार का शिकार हो रही हैं और नष्ट हो रही हैं। तथाकथित इस्लाम पसन्द गिरोह अपने लोगों को भी मार रहे हैं तथा अन्य देशों में भी अत्याचारी कार्य करते हैं तथा अपने अत्याचार को यह कह कर वे justifyकरते हैं कि ये हमारे लोगों को मार रहे हैं।

हुज़ूर-ए-अनवर ने फ़रमाया- अतः यह क़ौमों की दुश्मनी फिर आगे और अधिक दुश्मनियों के बच्चे पैदा करती जाती है और यह क्रम कभी समाप्त नहीं होता। इस लिए अल्लाह तआला ने फ़रमाया- किसी क़ौम की दुश्मनी भी तुम्हें इस हद तक मजबूर न करे कि तुम इंसाफ़ की प्रक्रिया पूरी न करो। इंसाफ़ की प्रक्रिया तुमने हर हाल में पूरी करनी है तथा इसी कारण से अत्याचार बढ़ रहा है कि न्याय की प्रक्रिया पूरी नहीं होती और जो ग़ैर मुस्लिम हमारे विरुद्ध हैं वे भी इस लिए कि मुसलमानों के कर्म इस्लाम की शिक्षा के विरुद्ध हैं। चाहिए तो यह था कि मुसलमान अपने नमूने दिखाते हुए इस्लाम की सुन्दर शिक्षा दुनिया को बताते हुए इस्लाम की तबलीग़ करते। लेकिन यहाँ तो हिसाब ही उलटा है और मुस्लिम देशों में अत्याचार के अतिरिक्त तो कुछ देखने में नहीं आता। क़ुर्आन-ए-करीम का कितना सुन्दर निर्देश है कि किसी क़ौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर तय्यार न करे कि तुम इंसाफ़ न करो, यह किसी अन्य धार्मिक पुस्तक में नहीं दिया गया।

हुज़ूर-ए-अनवर ने फ़रमाया- दुश्मनों के साथ व्यवहार में भी इंसाफ़ की प्रक्रिया करनी है, इसकी ओर ध्यान देना है कि यह कैसी सुन्दर शिक्षा है। परन्तु खेद है कि इस शिक्षा के बावजूद मुसलमानों के कर्मों ने इस्लाम को बदनाम कर दिया। आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी सूक्षमता से अपने सहाबा से इस पर अमल कराया इसके कुछ उदाहरण देता हूँ। एक बार एक युद्ध में ग़लती से एक महिला सहाबा के हाथों से मर गई, आपको इसका पता चला तो आप सहाबा पर बड़े नाराज़ हुए। रिवायत में आता है कि आपके चेहरे पर उस समय इतने क्रोध के प्रभाव थे कि इससे पहले कभी नहीं देखे गए। सहाबा ने कहा भी कि भूल से मारी गई है लेकिन इस भूल चूक के बावजूद आपको बड़ा दुःख हुआ कि न्याय स्थापित नहीं हुआ।

फिर एक रिवायत में आता है कि एक यहूदी का एक सहाबी के ज़िम्मे चार दरहम का ऋण था जिसकी अवधि पूरी हो चुकी थी। उस यहूदी ने आकर आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत कर दी कि इस

व्यक्ति के ज़िम्मे मेरा चार दरहम का क़र्ज़ है और यह मुझे अदा नहीं करता। रसूल-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को बुलाया जिनका नाम अब्दुल्लाह था और उन्हें कहा कि यहूदी का हक़ दे दो। हज़रत अब्दुल्लाह ने निवेदन किया कि उस ज़ात की क़सम कि जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है मुझमें ऋण चुकाने का सामर्थ्य नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उन्हें फ़रमाया कि इस व्यक्ति ऋण वापस करो। अब्दुल्लाह ने निवेदन किया कि मैंने उसे कह दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ख़ैबर (युद्ध) भिजवाएँगे तथा माल-ए-ग़नीमत (युद्ध के द्वारा प्राप्त धन सम्पत्ति) में से कुछ देंगे और वापस आकर मैं उसका ऋण चुकता कर दूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फ़रमाया कि इसका हक़ अदा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई बात तीन बार फ़रमा देते थे तो वह अन्तिम निर्णय समझा जाता था। अतः हज़रत अब्दुल्लाह उसी समय बाज़ार गए उन्होंने चादर को लुंगी के रूप में बाँधा हुआ था तथा सिर पर कपड़ा भी था। सिर का कपड़ा उतारकर उन्होंने लुंगी के रूप में बाँध लिया तथा चादर को चार दरहम में बेच कर ऋण चुकता कर दिया। तो ये थे स्तर जो आपने क़ायम फ़रमाए। यहूदी को यह नहीं फ़रमाया कि इसने जब समय माँगा है तो मोहलत दे बल्कि अपने सहाबी को यह कहा कि तुरन्त इसका क़र्ज़ अदा करो और इसके लिए उन्हें अपने तन के कपड़े भी उतारकर बेचने पड़े। तो ये स्तर है इंसाफ़ और न्याय के और यही स्तर हैं जो हम हर स्तर पर क़ायम रखेंगे तो इस ज़माने में आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ग़ुलाम के वास्तविक मानने वालों में गिने जाएंगे तथा वह उद्देश्य जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की नियुक्ति का है उसे पूरा करने वाले होंगे।

हुज़ूर-ए-अनवर ने फ़रमाया- सूरः आराफ़ की जो आयत मैंने तिलावत की है उसमें अल्लाह तआला ने इसी बात को इरशाद फ़रमाया है। अनुवाद इसका यह है- जिन्हें हमने पैदा किया ऐसे लोग भी थे जो हक़ के साथ लोगों को हिदायत देते थे तथा इसी के द्वारा लोगों में न्याय करते थे। जब इंसान स्वयं हिदायत पर क़ायम न हो तो दूसरों को क्या हिदायत देगा। जब स्वयं इंसान हिदायत पर क़ायम न हो तो दूसरों क्या इंसाफ़ दे सकेगा। अतः हमने यदि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बैअत के अहद को पूरा करना है तथा आपके मिशन को पूरा करना है और इस्लाम के सन्देश को दुनिया तक पहुंचाना है और तबलीग़ का हक़ अदा करना है तो फिर उसी नियम के अनुसार समस्त उच्च आचरण को अपनाना होगा जो इस्लाम की शिक्षा है, जो आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाए हैं।

अल्लाह तआला करे कि हम अल्लाह तआला के आदेशानुसार चलते हुए अपने जीवन को ढालने वाले हों और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बैअत को पूरा करने वाले हों तथा आपकी बैअत का हक़ अदा करने वाले हों। हम दूसरों के लिए मार्गदर्शन तथा न्याय का नमूना बनने वाले हों।

ख़त्बः जुम्अः के अन्त में अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने मुकर्रम हसन मुहम्मद खान आरिफ़ साहब पुत्र मुकर्रम फ़ज़ल मुहम्मद खान साहब शमोली की नमाज़ जनाज़ा ग़ायब पढ़ने का ऐलान फ़रमाया और आपके सद्गुण बयान फ़रमाए।

TOLL FREE NO: 180030102131